देखा जाने लगा है । इसी का परिणाम है कि लोक कला व्यक्तिगत भावनाओं से अधिक सम्बद्ध है तथा उसके लोक जीवन का प्रभाव कम होता जा रहा है । इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी निर्विवाद है कि आज लोक-संस्कृति के अन्तर्गत सहित्य, संगीत तथा मनोरंजन के स्वरूप में व्यवसायिकता के गुण उत्पन्न हो गये है । कला और संगीत का उद्देश्य प्राथमिक रूप से धनोपार्जन करना है जिसके लिये लोक कलाकार अपने अपने संगठन बनाकर स्थान स्थान पर भ्रमण करते है । और लोक गीतों तथा लोक नृत्यों का प्रदर्शन करते है ।अब लोक कलाकारों को फिल्मों और टेलीविज़न की दुनिया में मंच मिलने लगा है जिससे इनकी लोक काला अब स्थानीयता से निकल कर सार्वभौमिक हो रही है ।

लोक-संस्कृति में होने वाले परिवर्तन इस दृष्टिकोण से चिंताजनक है कि वर्तमान युग में इसके अन्तर्गत जन सामान्य का सहभाग निरन्तर कम होता जा रहा है। आधुनिकीकरण तथा नगरीकरण के प्रभाव से लोक जीवन नगरीय संस्कृति को अपना आदर्श मानने लगा है । ग्रामों में बहुत से व्यक्तियों की यह धारणा प्रबल होने लगी है कि उनकी लोक-संस्कृति इस सीमा तक परिवर्तित हो गयी है । कि अब इसे अनेक जीवन के लिये अधिक उपयोगी नही कहा जा सकता । यह सम्भव है कि वर्तमान परिवर्तन बदलती हुई रूचियों और मनोवृत्तियों के अनुरूप हो लेकिन यह भी सच है कि इन परिवर्तनों के फलस्वरूप लोक जीवन में सांस्कृतिक विघटन की एक नई समस्या उत्पन्न हो गई । इसके पश्चात् भी यह ध्यान रखना होगा कि लोक-संस्कृति में उत्पन्न परिवर्तन अभी इतने सीमित है कि इनके आधार पर ग्रामीण समुदाय लोक जीवन को पूर्णतया विघटित नही कहा जा सकता। यद्यपि इन परिवर्तनों में तीव्रता आने पर लोक जीवन में विघटन के तत्व अधिक प्रभाव पूर्ण बन सकते है । इसी आधार पर अक्सर यह निष्कर्ष दिया जाता है कि कुछ समय पूर्व लोक-संस्कृति अतीत की संस्कृति थी लेकिन परिवर्तन की वर्तमान प्रक्रिया को देखने से यह स्पष्ट होता है कि लोक-संस्कृति को भव विशुद्व रूप से अतीत की संस्कृति नही कहा जा सकता ।

निष्कर्ष-

लोक- संस्कृति वह महत्वपूर्ण पर्यावरण है जो किसी भी लघु समुदाय तथा कृषक समाज की जीवन विधि को सुरक्षित बनाये रखता है । इस दृष्टिकोण से लघु समुदाय, कृषक समाज तथा लोक संस्कृति को पारस्परिक निर्भरता के दृष्टिकोण से समझना ही उचित होगा । इनमें से किसी भी एक में उत्पन्न होने वाला परिवर्तन दूसरे को निश्चित रूप से प्रभावित करता है । पर इन परिवर्तनों के बावजूद भी लोक –संस्कृति बाजरवाद की नवीन प्रवृतियों को ग्रहण करते हुई दिखाई पड़ रही है । शायद यह समय की मांग या आजीविका के महगें होते साधनों के साथ व्यावसायिकता का भूमंडलीकरण होना है । इन परिवर्तनों के लिए एक कारक प्रभावी या सम्पूर्ण नही है । पर यह ध्यान रखने की महती आवश्यकता है कि बाजारीकरण के अंधाधुन इस आधुनिक दौर में लोक संस्कृति का मूल स्वरूप ही न नष्ट हो जाए ।

****

संदर्भ सूची-

1 पाण्डे गोविंद चन्द्र, भारतीय समाज तात्विक और ऐतिहासिक विवेचन, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली,1993
2-दुबे श्यामचरण,भारतीय समाज, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 2003
4.उपाध्याय कृष्णदेव, लोक संस्कृति कि रूप रेखा, लोक भारती प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014
5. गुप्ता एम. एल. और शर्मा डी. डी. , भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र,साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2012

ग्रामीण विकास: गांधी और अम्बेडकर के दृष्टिकोण

मिलिंद घाटे
हिसलोप कॉलेज नागपुर
मो. 996038175

परिचय:-सामान्यत: 'ग्रामीण विकास' विकास योजनाकारों और नीति निर्माताओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। खेती योग्य भूमि की कमी और लगातार बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए, भारतीय गाँव कुछ ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं जो केवल भारत में ही मौजूद हैं। भारतीय गाँवों में समस्याएँ दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। काफी समय तक ग्रामीण विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं को क्रियान्वित करने के बाद भी समस्याएँ जस की तस बनी हुई हैं। कुछ पहलुओं में मामूली सुधार को छोड़कर, समग्र रूप से बुनियादी बदलाव लाने वाला विकास अभी तक नहीं हुआ है। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां बिजली, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढांचे आदि की पर्याप्त पहुंच नहीं है।

'ग्रामीण विकास' की अवधारणा भारतीय समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 70% से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जो देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकसित देश बनाने की दिशा में काम करने के लिए ग्रामीण भारत का विकास देश की पहली प्राथमिकता है। कई अन्य बुद्धिजीवियों ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर अपने विचार रखे हैं। अगर हम ऐतिहासिक साहित्य का अध्ययन करें तो पाएंगे कि भारत में विकास और ग्रामीण विकास कैसे हो, इस पर कई विद्वानों ने व्यापक चर्चा की है। हालाँकि, ग्रामीण विकास की तीन सबसे अधिक और लंबे समय से विवादित विचारधाराएँ हैं जिन्हें **अम्बेडकर की विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा और नेहरूवादी विचारधारा** के रूप में जाना जाता है। ग्रामीण विकास की विचारधारा. ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के बारे में उन्होंने जो अपने विचार पेश किए हैं, उनके आधार पर ग्रामीण समाज के बारे में उनकी अपनी समृद्ध समझ है। यहां इस पेपर में अंबेडकर और गांधी के विचारों और दृष्टिकोणों का तुलनात्मक विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है, जिन्हें ग्रामीण विकास की विचारधाराओं के रूप में जाना जाता है। पेपर में ग्रामीण विकास के बारे में गाँधी और अम्बेडकर के दृष्टिकोणों की बहस बताई गई है।

भारत के अलावा, ग्रामीण विकास अवधारणा का उपयोग पूरे विश्व में ग्रामीण पुनर्निर्माण के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों द्वारा कवर की गई सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया को नामित करने में भी किया गया है। इसलिए, विश्व बैंक (1991) ने कहा कि विकास की मुख्य चुनौती जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। विशेष रूप से दुनिया के सबसे गरीब देशों में, 'जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए आम तौर पर उच्च आय की आवश्यकता होती है लेकिन इसमें बहुत कुछ शामिल होता है; इसमें बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण का उच्च मानक, कम गरीबी, स्वच्छ वातावरण, अवसर की अधिक समानता, अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समृद्ध सांस्कृतिक जीवन शामिल है' (टोडारो और स्मिथ, 2003: 50)। इसलिए, ग्रामीण विकास को एक ऐसी अवधारणा के रूप में समझना जो ग्रामीण पुनर्निर्माण के पूरे सेट को दर्शाता है, विशेष रूप से भारत के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। आम तौर पर, मुख्यधारा के विकास विमर्श में, आर्थिक विकास, कृषि विकास, ग्रामीण विकास और विकास प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को गरीब लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए स्वतंत्रता के बाद के समय में, भारत ग्रामीण विकास पर फोकस किया है.

यह पेपर भारत में ग्रामीण विकास के संबंध में गांधी और अंबेडकर के भारतीय गांव की समझ की तुलना करने के लिए है। अधिकांश विकासशील देशों ने कुछ प्रकार की विकासात्मक समस्याओं का अनुभव किया है। गांधी और अंबेडकर जैसे भारतीय नेताओं ने एक नए भारत की कल्पना की और समाज में बड़े सुधार पेश किए, जैसे अस्पृश्यता का उन्मूलन, जातिवाद का उन्मूलन, निरक्षरता को दूर करना, समानता को बढ़ावा देना, शोषण का उन्मूलन। उन्होंने विकास को बढ़ावा देने के लिए जनता की ऊर्जा को दिशा देने की कोशिश की। गाँधीजी की दृष्टि में भारतीय गाँव ही केन्द्रीय बिन्दु थे। विकास के गांधीवादी परिप्रेक्ष्य को दो पहलुओं में विभाजित किया गया है, एक भौतिक समृद्धि पर आत्म-विकास और दूसरा गांवों, ग्रामीण उद्योगों और आधुनिक मशीनरी, प्रौद्योगिकी और मिलों पर जमीनी स्तर पर काम करने का विकास।

ग्रामीण विकास के संदर्भ में ग्राम संरचना के गांधीवादी परिप्रेक्ष्य:

ग्रामीण विकास के गांधीवादी दृष्टिकोण पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। गांधी जी के लिए स्वतंत्र भारत का विचार भारतीय गांवों में जीवन की बेहतरी के बराबर था। उन्होंने देश को लगातार याद दिलाया कि भारत की आत्मा उसके गांवों में है और केवल जब ग्रामीण जागृत होंगे और अपनी पूरी क्षमताओं तक पहुंचेंगे, तभी भारत वास्तव में स्वतंत्र होगा और सामाजिक और आर्थिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत करेगा। ग्रामीण विकास की उनकी अवधारणा कई लोगों की कीमत पर कुछ लोगों के लिए अधिक आर्थिक समृद्धि नहीं थी; यह उत्पादन के साथ-साथ उपभोग ग्राम स्वराज और ग्राम विकास में पूरी आबादी की भागीदारी थी और उन्होंने अपने सिद्धांत के आधार पर ग्राम सेट-ऑफ की स्थापना की पुरजोर वकालत की। गांधी ने गांव के बारे में अपने विचार के बारे में अपनी पुस्तक में लिखा, 'स्वराज का अर्थ है कि यह एक पूर्ण गणराज्य है, जो अपनी महत्वपूर्ण जरूरतों के लिए अपने पड़ोसियों से स्वतंत्र है, और फिर भी कई अन्य लोगों के लिए अन्योन्याश्रित है, जिसमें निर्भरता एक आवश्यकता है' (गांधी, 1962: 31)). गांधीजी ने ग्रामीण सुधार और पुनर्निर्माण की समस्या के प्रति दृष्टिकोण की एक नई दृष्टि दी थी और नई शक्ति को क्रियान्वित किया और ग्रामीण सुधार के लिए नई संस्थाओं का निर्माण किया। उनके प्रयासों ने राष्ट्रीय विकास की चिंता करने वाले नेताओं की सोच को गहराई से प्रभावित किया है। यह स्पष्ट होगा कि भारत में नए शुरू किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आधार गांधीवादी दर्शन और जीवन की अवधारणा का विकास है जिसे उन्होंने कई प्रयोगों में लागू करने का प्रयास किया। गांधी ने ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, गोसेवा संघ और हरिजन सेवक संघ आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों की स्थापना की। यह व्यापक कार्यक्रम आर्थिक और सामाजिक दोनों मोर्चों पर ग्रामीण जीवन के पुनरुत्थान के लिए उनकी योजनाओं की जानकारी देता है। गांधीवादी आंदोलन वास्तव में लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए एक आंदोलन था जिसने ग्रामीण पुनर्निर्माण की समस्या के दृष्टिकोण के संबंध में एक नई दृष्टि दी (उमराव सिंह, 1962)।

गांधी जी ने पहली बार ग्रामीण समुदाय के वास्तविक परिप्रेक्ष्य में उत्थान की अनिवार्य आवश्यकता पर विचार किया। उन्होंने इस कार्य को अपने रचनात्मक कार्यक्रमों का केन्द्र बनाया। गांधीवादी विचारधारा में रुचि रखने वाले कुछ लोगों के अनुसार गांवों में उनका योगदान महान और सराहनीय था। उन्होंने गांवों को स्वावलंबी और स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया। उन्होंने एक सख्त कार्यक्रम के माध्यम से उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए गांवों की ताकत और सहनशक्ति विकसित करने का प्रयास किया। उन्होंने साम्प्रदायिक एकता स्थापित करने, अस्पृश्यता दूर करने की योजनाएँ चलायीं, लेकिन इस कार्यवाही से गाँधीजी ने जाति व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए कुछ नहीं किया। गांधी जी वास्तव में जाति व्यवस्था के समर्थक थे। गांधी जी कहते हैं कि, 'जाति व्यवस्था समाज की स्वाभाविक व्यवस्था है।' यह उनका दृष्टिकोण है, वे कहते हैं कि 'मैं उन सभी का विरोध करता हूं जो जाति व्यवस्था को नष्ट करना चाहते हैं' (थोराट, 2007: 5)। आगे उन्होंने कहा कि 'मैंने जाति व्यवस्था को समर्थन दिया क्योंकि यह संयम का प्रतीक है। (थोराट, 2007 से उद्धृत: 6) यह जाति व्यवस्था के प्रति गांधी का दृष्टिकोण था। वह एक पारंपरिक व्यक्तित्व थे; वे वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते थे और जाति के व्यवसाय के आधार पर वर्ण व्यवस्था को कायम रखना चाहते थे, इसलिए उनका ग्रामीण विकास का मॉडल स्वयं पारंपरिक संस्थाओं पर निर्भर करता है।

भारतीय गांवों में वंचितों की स्थिति:- अगर गांधी का ग्राम गणतंत्र अस्तित्व में भी आ गया तो तथाकथित 'ग्राम गणतंत्र' में वंचितों और 'अछूतों' का स्थान कहां है? दलित अभी भी गांवों में अपने अधिकार पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं लेकिन उन्हें ऊंची जातियों से न्याय नहीं मिल सकता है जो दलितों के साथ भेदभाव करने से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। यदि गांधी का ग्रामीण विकास मॉडल इस प्रकार की असमानता को कायम रखता है तो गांधी का विचार सभी को स्वीकार्य कैसे हो सकता है? यही मुख्य कारण है कि अम्बेडकर ग्रामीण विकास के संदर्भ में भारतीय गांवों के बारे में गांधी के विचारों से भिन्न थे। इसलिए, गांधीजी ने अपने पूरे जीवन में ग्रामीण विकास के संदर्भ में गांवों पर ध्यान केंद्रित किया। दरअसल, गांधीवादी दर्शन किसी भी तरह से एक तरफ गांवों को न्याय देता है, लेकिन गांवों में ही कुछ लोगों (पूर्व-अछूत) के साथ उच्च जातियों द्वारा भेदभाव किया जाता था, जिनके गांव के मुख्य नेता दूसरी तरफ होते थे। 'अछूतों' को गांवों की मुख्य सड़क पर चलने, पानी, स्वास्थ्य और गांवों के बुनियादी ढांचे जैसी सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंच का कोई अधिकार नहीं था, जो गांधीवादी काल की सबसे खराब स्थितियों में से एक थीं। गांधीजी केवल हिंदू लोगों के हृदय परिवर्तन और हिंदू के हृदय की शुद्धि में विश्वास करते हैं। लेकिन आजादी के 64 साल बाद भी गांवों में बहुत कम बदलाव हुए हैं, गांवों में कोई बुनियादी बदलाव नहीं हुआ है. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का लाभ चाहे जो भी हो, गाँव के कुछ ही लोगों को मिल रहा है, इसका मतलब है कि गाँव पर जाति के रूप में किसका प्रभुत्व है, गाँव के सभी लोगों को नहीं। और यही कारण है कि ग्रामीण विकास का गांधीवादी विचार गांवों में सभी वर्गों के लोगों को न्याय नहीं दे पा रहा है। जबकि दलितों पर ऊंची जातियों द्वारा हमला किया जाता है, कोई भी 'अछूतों' की मदद के लिए नहीं आएगा या ऊंची जातियों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करेगा (अंबेडकर, 1989: 56)। अक्सर अपराधियों को सत्ता का दुरुपयोग करने वाले सरकारी अधिकारियों का समर्थन प्राप्त होता है। आज के परिदृश्य में गांवों में दलितों की स्थिति पर नजर डालें तो जातीय अत्याचार के सबसे ज्यादा शिकार दलित ही होते हैं। गांधी का ग्रामीण विकास मॉडल भारत के बहुत कम लोगों के लिए उपयुक्त है, सभी के लिए नहीं। क्योंकि गांधी का दर्शन केवल हिंदू दर्शन के इर्द-गिर्द घूमता है और वास्तव में भारत में केवल हिंदू ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं। तो यदि गांधीवादी दर्शन केवल हिंदू धर्म और वर्ण व्यवस्था के बारे में तर्क देगा तो अन्य धर्मों के बारे में क्या? यदि गाँवों में स्वराज्य की बागडोर केवल हिन्दू लोग ही संभालेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे?

ग्रामीण विकास के संदर्भ में ग्राम संरचना के अम्बेडकरवादी परिप्रेक्ष्य:-अंबेडकर का दृष्टिकोण गांधी के गांव के सपने या ग्रामीण विकास के मॉडल से बिल्कुल अलग है। अम्बेडकर ने ग्राम गणराज्यों की धारणा पर आधारित ग्रामीण विकास के गांधीवादी मॉडल को खारिज कर दिया। अम्बेडकर ने भारतीय ग्राम संरचना और भारतीय हिंदू शास्त्रों का अध्ययन किया, जो उनके अनुसार; दलितों के प्राकृतिक अधिकारों को नकार दिया, परिणामस्वरूप अम्बेडकर ने उन विचारों की आलोचना की जो दलितों के बुनियादी मानवाधिकारों और अन्य सभी विचारों को खारिज करते थे जो पारंपरिक ग्रामीण जीवन शैली का समर्थन कर रहे हैं। गांधी और अंबेडकर स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण विचारक हैं। ग्राम स्वराज में (गांधी, एम.के.: 1962, 30) ग्राम पंचायतें अस्पृश्यता उन्मूलन के मामले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं यदि वे उस समस्या में वास्तविक रुचि लें, लेकिन दुर्भाग्य से अधिकांश पंचायतों में यह रुचि अभी तक पैदा नहीं हुई है (हालीपुर, आर.एन., परमहंस, वी.आर.के: 1969, 24)। इसलिए ग्राम स्वराज के संदर्भ में अम्बेडकर अक्सर ग्राम पंचायतों का विरोध करते थे। वे कहा करते थे, "गाँव क्या है, स्थानीयता का एक गड्ढा, अज्ञानता, संकीर्ण पागलपन और साम्प्रदायिकता का अड्डा। इस 'गणतंत्र' में लोकतंत्र के लिए कोई जगह नहीं है। वहां समानता के लिए कोई जगह नहीं है, वहां स्वतंत्रता के लिए कोई जगह नहीं है और वहां भाईचारे के लिए कोई जगह नहीं है। भारतीय गाँव गणतंत्र का बिल्कुल निषेध है (अम्बेडकर: 1989, 25, जोधका, एस.एस.: 2002ए)।

अम्बेडकर (1989:20) के अनुसार भारतीय गाँव एक इकाई नहीं है। इसमें अपने उद्देश्य में जातियाँ शामिल हैं। गांव की आबादी दो वर्गों में बंटी हुई है, एक है 'अछूत' और दूसरा है 'स्पृश्य'। स्पृश्य लोग प्रमुख समुदाय बनाते हैं और 'अछूत' एक छोटा समुदाय बनाते हैं। स्पृश्य लोग गाँव के अंदर रहते हैं और 'अछूत' गाँव के बाहर अलग क्वार्टर में रहते हैं। आर्थिक रूप से, स्पृश्य एक मजबूत और शक्तिशाली समुदाय बनाते हैं। जबकि 'अछूत' एक गरीब और आश्रित समुदाय हैं, सामाजिक रूप से स्पृश्य लोग एक शासक जाति की स्थिति पर कब्जा कर लेते हैं, जबकि 'अछूत' वंशानुगत बैंडमैन की एक विषय जाति की स्थिति पर कब्जा कर लेते हैं। अम्बेडकर का मानना था कि उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि भारतीय गाँव में स्पृश्य और 'अछूत' जीवन की किन शर्तों पर रहते हैं? प्रत्येक गाँव में 'अछूतों' के लिए कुछ निश्चित संहिताएँ होती हैं जिनका पालन करना 'अछूतों' को आवश्यक होता है। यह संहिता उन चूकों और कृत्यों को निर्धारित करती है जिन्हें स्पर्श करने योग्य लोग अपराध मानते हैं। यदि 'अछूत' स्पृश्यों द्वारा दिए गए नियमों का पालन नहीं कर रहे होंगे, तो जाहिर तौर पर 'अछूतों' को सजा मिलेगी। इसलिए अम्बेडकर ने गांधीवादी ग्राम स्वराज के सामने हमेशा यह प्रश्न रखा कि गांधी किस प्रकार का ग्राम स्वराज चाहते थे।

इसके अलावा अम्बेडकर ने कहा कि भारतीय गांवों में 'अछूतों' को स्पर्श योग्य लोगों के लिए क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, जिसका गांधी भारतीय अतीत का जश्न मना रहे थे। अम्बेडकर ने "द इंडियन घेटो- द सेंटर ऑफ अनटचेबिलिटी: आउट-साइड द फोल्ड" में बहुत ही पर्याप्त रूप से चित्रित किया है।

निष्कर्ष:- गांधीजी हमेशा पारंपरिक ग्रामीण संरचना पर जोर देते थे, लेकिन अंबेडकर स्वतंत्रता, समानता बंधुत्व जैसे विकास के आधुनिक विचारों में विश्वास करते थे, यही कारण है कि अंबेडकर अपने भाषणों में अपने अनुयायियों से कहा करते थे कि शहरों में जाओ और खुद को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा लो। लेकिन गांधी ने भारतीय लोगों से कहा कि गांवों में जाओ; क्योंकि भारत का अस्तित्व गांवों में था, 'अगर गांव नष्ट हो गए तो भारत भी नष्ट हो जाएगा'। भारतीय गाँव जाति व्यवस्था के मुख्य साधन थे। गाँवों में ऊँची जाति के लोग, जो गाँधीजी के अनुयायी थे, द्वारा 'अछूतों' का शोषण किया जाता था। एक बात तो यह है कि भारतीय गाँव सजातीय नहीं थे और आज भी नहीं हैं। लेकिन गांधी और अंबेडकर में एक समानता थी कि जाति उन्मूलन. दोनों बुद्धिजीवी जाति व्यवस्था के ख़िलाफ़ थे लेकिन जाति को ख़त्म करने का उनका तरीक़ा अलग था और इसीलिए अंबेडकर अक्सर इस मुद्दे को लेकर गांधी की आलोचना करते हैं। अम्बेडकर ने 'अछूतों' और अन्य हाशिये पर पड़े लोगों को, जो विकास की मुख्यधारा का हिस्सा नहीं थे, मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। अंबेडकर ने वंचित वर्गों की मुक्ति के लिए अपना पूरा जीवन योगदान दिया।

****

सन्दर्भ:-

1. अम्बेडकर, बी.आर. (1989) 'अछूत या भारत के बस्ती के बच्चे और अन्य निबंध', वसंत मून, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर: लेखन और भाषण, खंड-5, शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, बॉम्बे।
2. अम्बेडकर, बी.आर. (2008) 'डॉ. बाबासाहेब यान्चे बहिष्कृत भारत और मूकनायक', वसंत मून और हरि नारके, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, बॉम्बे।
3. अम्बेडकर, बी.आर. (1990) 'मि. गांधी और अछूतों की मुक्ति', वसंत मून (सं.) में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर: लेखन और भाषण, खंड-II, शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई।
4. अम्बेडकर, बी.आर. (2005) 'ऑन विलेज पंचायत बिल-1,2,3,4', वसंत मून (सं.), डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर लेखन और भाषण, खंड-2, शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, बॉम्बे।
5. गांधी, एम.के. (2011) द स्टोरी ऑफ़ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ एन ऑटोबायोग्राफी, अनुवादित, देसाई, एम. प्रकाश बुक्स, नई दिल्ली।
6. गांधी, एम.के. (1947) 'इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स', प्रभु, के.आर. (ईडी) हिंद किताब्स लिमिटेड बॉम्बे।
7. गांधी, एम.के. (1962) 'ग्राम स्वराज', व्यास, एच.एम. (ईडी) नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद।
8. गांधी, एम.के. (2009) 'हिन्द-स्वराज: महात्मा गांधी का जीवन दर्शन', अनुवादक, कालिका प्रसाद, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली।
9. Jodhka, S.S. (2002) '*Nation and Village: Images of Rural India in Gandhi, Nehru and Ambedkar,* in Economic and Political Weekly, Vol -XXXVII, No. 33, Aug-2002, Pp. 3343-3353.
10. Ramaiah, A. (2011) *Relevance of Dr. Ambedkar's Demand for Separate Settlement, Mainstream*, Vol-XLIX, pp-17, Apr 17, 2011, (Online article).
11. Sharma, A. K.(2009) *Hind Swaraj Ki Prasangikta*, Kautillya Prakashan, New Delhi, India.
12. Singh, Katar. (1999) *Rural Development: Principles, Policies and Management,* Sage Publication, New Delhi, India.
13. Thorat, S. and Aryama (2007) *Ambedkar In Retrospect: Essays on Economics, Politics and Society*, Rawat Publications, New Delhi, India.
14. Thorat, S.K. (2001) *Rural Development: Problem and Prospect,* Prawara Rural Development Association, Prawaranagar, India.
15. Thorat, S.K. (1998) *Ambedkar's Role in Economic Planning and Water Policy*, Shipra Publications, Delhi, India.